संख्या–1544 / 9–''आ''–1–1998

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2.आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 24 अप्रैल, 1998

विषय : अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा कुल सम्पत्तियाँ जैसे आय वर्ग तथा अन्य वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के भवन/भूखण्ड अथक प्रयास करने के बावजूद भी नहीं बिक रहे हैं। ऐसी निस्तारित सम्पत्ति पर रख–रखाव तथा ब्याज का भार और बढ़ता जा रहा है। यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है।

इस संबंध में यह जिज्ञासा की गयी है कि क्या अन्य श्रेणी के भवनों के साथ दुर्बल आय वर्ग के इस प्रकार के अनिस्तारित भवनों को बल्क सेल मं विक्रय किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ऐसी अनिस्तारित सम्पत्तियाँ, जिनको बेचने के सभी यथासंभव प्रयास निष्फल हो चुके हैं, को शासकीय विभागों/संस्थाओं को उनके उपयोगार्थ बल्क तेल में विक्रय किया जा सकता है। किन्तु ऐसी सम्पत्तियों के मूल्य निर्धारण में यदि कोई सब्सिडी का अंश सम्मिलित हो तो उसे निकाल कर पुर्नमूल्यांकन कर विक्रय किया जाये। यदि विशेष कारणों से किसी छूट का दिया जाना आवश्यक हो तो बोर्ड का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव